रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2008.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 8 जुलाई, 2008 / 17 आषाढ़, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th July, 2008

No. Ind-II(B)2-1/77-Estt.-Vol-I.— The Governor, Himachal Pradesh on the recommendations of the Departmental Promotion Committee is pleased to order the promotion of Shri Baldev Singh, Assistant Driller to the post of Driller (Class-II, Gazetted) in the pay scale of Rs.7000-10980 in the Geological Wing of the Industries Department with immediate effect.

He will remain on probation for a period of two years.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to post Shri Baldev Singh on his promotion as Driller in the Geological Wing of Industries Department, Shimla. He will submit his joining report to this Department through the Director of Industries, H.P. immediately.

By order,
Sd/-
Pr.Secretary.

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–171001

संख्या :11.5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.––अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Dhuma Soren S/O Shri Dharag Soren C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Dhuma Soren S/O Shri Dharag Soren workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

———

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.--अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Hom B. Thapa S/O Shri Lil B. Thapa C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Hom B. Thapa S/O Shri Lil B. Thapa workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

———

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Suresh Kumar S/O Shri Pritho Ram C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Suresh Kumar S/O Shri Pritho Ram workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Sapan Karmakar S/OShri Lakhan Karmakar C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited,Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Sapan Karmakar S/O Shri Lakhan Karmakar workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.--अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Khagender Parsad Joshi S/O Shri Shankar Dutt Joshi C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Khagender Parsad S/O Shri Shankar Dutt Joshi workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Vijay Singh S/O Shri Mohan Lal C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H. P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan onstruction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, .P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Vijay Singh S/O Shri Mohan Lal workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Bullu Nayak S/O Shri Subh Nath C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O

Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Bullu Nayak S/O Shri Subh Nath workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

———

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Amar Singh S/O Shri Man Singh C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P.V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Amar Singh S/O Shri Man Singh workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work,

whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Naresh Kumar S/O Shri Chatro Ram C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Naresh Kumar S/O Shri Chatro Ram workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Vardan Hiro S/O Shri Markas Hiro C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction ompany Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage hri Vardan Hiro S/O Shri Markas Hiro workman after 01-09-2006 when the ompany re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors ave been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial isputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of ervice benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Mahesh Bushmatar S/O Shri Gahendra C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chouhan, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chouhan, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Mahesh Bushmatar S/O Shri Gahendra workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial isputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If

not, what relief of ervice benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is ntitled to?"

श्िमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Lakhan Majhi S/O hri Subhash Majhi C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District hamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, illage Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chouhan, Sub ontractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, .O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन मझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन वचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chouhan, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Lakhan Majhi S/O Shri Subhash Majhi workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.– अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Sudershan Dora S/O Shri Lingraj Dora C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chauhan, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chauhan, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Sudershan Dora S/O Shri Lingraj Dora workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.– अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Johan Kashyap S/O Shri Jakriya Kashyap C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chouhan, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chouhan, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Johan Kashyap S/O Shri Jakriya Kashyap workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.– अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Arjun Khadia S/O Shri Ghasi Khadia C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chouhan, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chouhan, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Arjun Khadia S/O Shri Ghasi Khadia workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.– अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Marianus S/O Shri Illarus C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chouhan, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chouhan, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Marianus S/O Shri Illarus workman after 01-09-2006 when the company restarted the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.– अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Sukhal Ali S/O Shri Abhijoti C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chouhan, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chouhan, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Sukhal Ali S/O Shri Abhijoti workman after 01-09-2006 when the company restarted the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.– अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Lekh Raj S/O Shri Bhora Ram C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project

Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Lekh Raj S/O Shri Bhora Ram workman after 01-09-2006 when the company restarted the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.– अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Rakesh Kumar S/O Shri Man Singh C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Kamlesh Morya, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Kamlesh Morya, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Rakesh Kumar S/O Shri Man Singh workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of

work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.– अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Arjun Naik S/O Shri Arikit Naik C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Lal Mohan Jena, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Lal Mohan Jena, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Arjun Naik S/O Shri Arikit Naik workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.– अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Deepak Thakur S/O Shri Sukhdev C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधशीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Deepak Thakur S/O Shri Sukhdev workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.– अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Yoginder Prasad S/O Shri Ram Kishan C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Kamlesh Morya, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Kamlesh Morya, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Yoginder Prasad S/O Shri Ram Kishan workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If

not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.– अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Shyam Naik S/O Shri Baroo Naik C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Shyam Naik S/O Shri Baroo Naik workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या 11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.–अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Nar Bahadur S/O Shri Rattan Bahadur C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Nar Bahadur S/O Shri Rattan Bahadur workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

Sd/-
LabourCommissioner,

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171 001

NOTIFICATIONS

Shimla, the 2nd *July,* 2008

No. HHC/GAZ/14-53/74-V.— Consequent upon the appointment of Shri A.C. Dogra, District & Sessions Judge, Mandi as Legal Remembrancer-cum-Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh *vide* notification No.Per(A-1)B(2)-11/84-11, dated 30-6-2008 issued by the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Shimla, the Hon'ble High Court of H.P. has been pleased to order to relieve the above named officer from the present assignment, with immediate effect to enable him to join new assignment.

Shimla, the 2nd July, 2008

No. HHC/GAZ/14-134/82-IV.— Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 5 days earned leave *w.e.f.* 30-6-2008 to 4.7.2008 with permission to prefix Sunday fell on 29-6-2008 in favour of Shri Ravinder Parkash, Registrar (Inspection), High Court of Himachal Pradesh, Shimla.

Certified that Shri Ravinder Parkash is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Ravinder Parkash would have continued to hold the post of Registrar (Inspection), High Court of Himachal Pradesh, Shimla, but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla, the 2nd July, 2008

No. HHC/Admn.16(13)74-VII.— Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 4 (vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 is pleased to appoint Shri Ramesh Kumar and Shri Krishan Singh Hetta, Advocates, Theog, as Oath Commissioner at Theog, H.P. for a period of two years, with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

Shimla, the 3rd July, 2008

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XIII.— Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Rampur as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District & Sessions Judge Kinnaur at Rampur Bushahr and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of Class-II, III and IV establishment attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Shri D.K. Sharma, District & Sessions Judge Kinnaur at Rampur Bushahr w.e.f. 9-7-2008 to 31-7-2008, or until he returns from leave.

Shimla, the 3rd July, 2008

No. HHC/GAZ/14-133/82-III.— Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 23 days earned leave w.e.f. 9.7.2008 to 31.7.2008 in favour of Shri D.K. Sharma, District & Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr.

Certified that Shri D.K. Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri D.K. Sharma would have continued to hold the post of District & Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr, but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla, the 4th July, 2008

No. HHC/GAZ/14-53/74-V.— Consequent upon the repatriation of Shri P.S. Rana, President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Shimla and appointment of Shri Pritam Singh, as such, vide Notification No.FDS-B(2)-3/2006, dated 4th July, 2008 issued by the Secretary (F.CS&CA) to the Government of Himachal Pradesh, the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to post Shri P.S. Rana as District & Sessions Judge, Mandi vide Shri A.C. Dogra, who has been appointed as Legal Remembrancer-cum-Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh, with immediate effect.

By order,
Sd/-
Registrar General.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 जुलाई, 2008

संख्या ई0एक्स0एन0–सी(17)–1 / 2006.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव सराज, माजरा गुजरां तहसील नालागढ़ जिला सोलन में कि बहुदेशीय नाका बददी तहसील नालागढ़ जिला सोलन के निर्माण हेतु आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश को भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अर्जन करना अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा, भू0अर्जन अधिनियम 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे संबंधित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु जारी की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) नालागढ, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (1) द्वारा प्रद्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता, उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता हैं ।

विवरणी

जिला सोलन		तहसील नालागढ़	
गावं		खसरा न0	(रकवा बीघों में)
1. सराज, माजरा गुजरां डाकघर बददी		283	1–03
	किता–1	कुल रकबा	1–03

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
प्रधान सचिव ।

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 जुलाई, 2008

संख्याःई0एक्स0एन0–सी(17)–1 / 2006.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांवं सराज, माजरा गुजुजरा तहसील नालागढ़ जिला सोलन में बहुदेशीय नाका बददी तहसील नालागढ़ जिला सोलन के निर्माण हेतु आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश को भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अर्जन करना अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा, भू0 अर्जन अधिनियम 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे संबंधित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु जारी की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जनन समाहर्ता उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता, उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) नालागढ, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता हैं ।

विवरणी

जिला सोलन		तहसील नालागढ़	
गावं		खसरा न0 (रकवा बीघों में)	
1. सराज, माजरा गुजरां डाकघर बददी		254 / 2 / 1	1–02
	किता–1	कुल रकबा	1–02

आदेश द्वारा
हस्ता / –
प्रधान सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित